न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 78/2025 बउनवानी कृष्णा देवी **बनाम** तहसीलदार एवं उप पंजीयक गंगापुर सिटी
पत्नि हंसराज तम्बोली न्यू कॉलोनी लालसोट

GCMS No-2025/ 198

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
20.8.2025	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 27.6.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर" ***रेवती प्रसाद तम्बोली के मकान का विक्रय पत्र दिनांक 5.3.2012 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 209 के पृष्ठ संख्या 139 कमं संख्या 2011003870 परं पंजीबद्व विक्रय पत्र जिन दस्तावेजों के आधार पर पंजीकृत करवाया गया है उनकी प्रमाणित सूचना*** " तहसीलदार गंगापुर सिटी से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकः भू0अ0/सूकाअ/2025/322 दिनांक 12.8.2025 का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 27.6.2025 से चाही गयी सूचना के संबंध मे लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा अवगत कराया कि दस्तावेज पंजीबद्व करवाते समय संलग्न दस्तावेज स्थायी प्रकृति के नही होकर अस्थायी प्रकृति के होते है तथा संबंधित दस्तावेजो की छायाप्रति लगायी जाती है जिनकी प्रमाणित प्रति नही दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त चाहे गये दस्तावेज 13 वर्ष पुराने है तथा वर्तमान तहसील कार्यालय भवन लम्बे समय से जर्जर अवस्था मे होने के कारण सभी कक्षों में छत से पानी आता है जिसके कारण अत्याधिक पुराना /अनावश्यक अभिलेख भीगने के कारण भी नकल दिये जाने की स्थिति में नही है। जिसके संबंध मे अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत जवाब मे अंकित किया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते है,कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 27.6.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र में चाही गयी सूचना सें संबंधित दस्तावेज की छायाप्रति होने के कारण प्रमाणित प्रति नही दी जा सकती है इसके अतिरिक्त चाही गयी सूचना से संबंधित रिकार्ड पानी मे भीग जाने के कारण नकल दिये जाने की स्थिति मे नही होने के कारण तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा अपीलान्ट को सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं [illegible] अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। Signature Not Verified Digitally signed by Ka[illegible]a Ram Date: 2025.10.21 15:37:32 IST Reason: SelfAttested ([illegible] राम) [illegible] कलेक्टर सवाई माधोपुर